

न्यायालय— अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,सहारनपुर  
दाण्डिक वाद सं०— 02 / 2018

राज्य —————बनाम ————— समद ।

मु०अ०स० 334 / 2017

धारा 376,323 भा०द०स०

थाना—कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

16-01-2018

### कमिटल आदेश

अभियुक्त समद पुत्र मो० युनुस के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के द्वारा मु०अ०स० 334 / 2017 में धारा 307,323 भा०द०स० के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है ।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त समद पर धारा 376,323 भा०द०स० के अपराध का आरोप है और अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रस्तुत वाद माननीय सत्र न्यायालय को कमिट किया जा रहा है।

अभियुक्त समद जेल से उपस्थित आया वह प्रस्तुत प्रकरण में जेल में हैं और अग्रिम आदेश तक जेल में रहेगा। उसका जेल अभिरक्षा वारण्ट बनाकर जेल भेजा जाये। धारा 207 द०प्र०स० के उपबन्धों का अनुपालन किया जा चुका है। नियमानुसार कलैण्डर तैयार हो तथा पत्रावली सम्पूर्ण अभिलेख सहित माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जाये। लोक अभियोजन सूचित हो। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष जेल से दि० 30.1.18 को पेश हो।

ए०सी०जे०एम०प्रथम  
सहारनपुर